

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

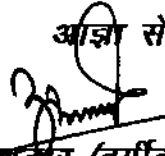
क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1295/2022

दिनांक : 12.04.2022

श्रीमती नुसरत बानो (RJ0363), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक को दिनांक 25.04.2022 से 21.05.2022 तक 27 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 23.04.2022 से 24.04.2022 एवं 22.05.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती बानो की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक के पद पर ही होने की संभावना है ।

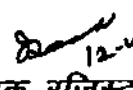
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 11.04.2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/69/2000/2.852

दिनांक : 12.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक को उनके पत्रांक 14 दिनांक 01.04.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती नुसरत बानो (RJ0363), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक ।


12.4.2022
सहायक रजिस्ट्रार